सं0-13/2018/258/29-3-2018-ब706/2016

प्रेषक,

जी0पी0 कमल,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन लखनऊ

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26 मार्च,2018

विषय-अनुदान सं0-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2408-राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत मानक मद -20-सहायता अनुदान(गैर वेतन) में पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0- ले0 शा0 /2212/173/आय-व्ययक अनु0/2018 दिनांक 13-03-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 201-01-राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत रू0 16.66 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखाशीर्षक 2408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013-09-राशन कार्डो में दर्ज यूनिट की आधार सीडिंग के मानक मद-42-अन्य व्यय में हो रही संभावित बचत रू0 2000.00 लाख में से लेखाशीर्षक 2408-04- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013-01-राज्य खाद्य आयोग के मानक मद-20-सहायता अनुदान(गैर वेतन) में रू0 16.66 लाख (रू0 सोलह करोड़ छाछठ लाख मात्र) की अतिरिक्त बजट व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी.एम.9 के अनुसार किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) खाद्यायुक्त द्वारा समस्त औपचारिकताएं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि खाद्यायुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) खाद्यायुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में शासनादेश सं0-15/2017/173/29-3-2017-ब 706/2016 दिनांक 09-5-2017 तथा शासनादेश सं0-20/2017/459/29-3-2017-ब 706/2016 दिनांक 18-8-2017 में निहित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।

4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-01-खाद्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013-01-राज्य खाद्य आयोग के अन्तर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान (गैर वेतन) में सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-7-253/दस-2018 दिनांक 23-3-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0पी0 कमल)
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लांनिग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।
5- अनुभाग अधिकारी लेखा अनुभाग खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ।
7- कोषाधिकारी कोषागार जवाहर भवन लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7 एवं वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जी0पी0 कमल)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।